

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1105/2019-05/19-20-21/राँची, दिनांक 18.06.2019
प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर परिक्षेत्राधीन कुल रु० 567.03 लाख (रुपये पाँच करोड़ सरसठ लाख तीन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर परिक्षेत्राधीन कुल रु० 567.03 लाख (रुपये पाँच करोड़ सरसठ लाख तीन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

I. प्रमण्डल का नाम :- गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज

(लाख रु० में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	TAC की अनुशंसा	SRC की अनुशंसा	SRC द्वारा अनुशंसा राशि	प्राक्कलन राशि
1	Anti erosion work on right bank of river Ganga at Sarkhanda School in 42M	क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के पत्रांक-481 दिनांक-05.11.2018 के द्वारा कटाव निरोधक कार्य के अनुशंसा के आधार पर TAC द्वारा अनुशंसा की जाती है।	TAC के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है।	₹ 21.98	₹ 21.
2	Restoration work on right bank of river Ganga at Shobhapur (Sudhir Karmakaar to Shishir Mandal House) in 125 M Launched portion.	क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के पत्रांक-481 दिनांक-05.11.2018 के द्वारा कटाव निरोधक कार्य के अनुशंसा के आधार पर TAC द्वारा अनुशंसा की जाती है।	TAC के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है।	₹ 62.09	₹ 62.
3	Restoration work on right bank of river Ganga at Shobhapur in 105M Launched portion	क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के पत्रांक-481 दिनांक-05.11.2018 के द्वारा कटाव निरोधक कार्य के अनुशंसा के आधार पर TAC द्वारा अनुशंसा की जाती है।	TAC के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है।	₹ 54.95	₹ 54.
4	Anti erosion work on right bank or river Ganga at Chandipur from Deven Rajak house to Subhash Rajak House in 85M	क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के पत्रांक-481 दिनांक-05.11.2018 के द्वारा कटाव निरोधक कार्य के अनुशंसा के आधार पर TAC द्वारा अनुशंसा की जाती है।	TAC के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है।	₹ 44.48	₹ 44.
योग :-				₹ 183.50	₹ 183.5

II. प्रमण्डल का नाम :-सिंचाई प्रमण्डल, बरहरवा

क्र० सं०	कार्य का नाम	TAC की अनुशंसा	SRC की अनुशंसा	SRC द्वारा अनुशंसा राशि	प्राक् संशोधन राशि
1	बड़ा पुरुलिया डांगा ग्राम में मास्जिद के सामने बाँये तटबंध पर सीढ़ी घाट के D/S में 190 मी० लम्बाई से बोल्टर क्रेटिंग कार्य।	क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के पत्रांक-481 दिनांक-05.11.2018 के द्वारा कटाव निरोधक कार्य के अनुशंसा के आधार पर TAC द्वारा अनुशंसा की जाती है।	TAC के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है।	₹ 100.00	₹ 86.38
2	हरिहरा पंचायत के महेशघाटी ग्राम में सीढ़ी घाट के समीप गुमानी नदी के बाँये तटबंध पर 180 मी० में बोल्टर क्रेटिंग कार्य।	क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के पत्रांक-481 दिनांक-05.11.2018 के द्वारा कटाव निरोधक कार्य के अनुशंसा के आधार पर TAC द्वारा अनुशंसा की जाती है।	TAC के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है।	₹ 95.00	₹ 87.23
3	हस्तीपाड़ा पंचायत में हाजी ईरफान के घर से धोपा तथा सेताबुद्दीन के घर तक दाँये तटबंध पर 220 मी० में बोल्टर क्रेटिंग कार्य।	क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के पत्रांक-481 दिनांक-05.11.2018 के द्वारा कटाव निरोधक कार्य के अनुशंसा के आधार पर TAC द्वारा अनुशंसा की जाती है।	TAC के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है।	₹ 120.00	₹ 111.67
4	मधुवापाड़ा पंचायत के बड़ा चौदपुर ग्राम में स्व० नजरुल इस्लाम के घर के सामने गुमानी नदी के बाँये तटबंध पर 125 मी० में बोल्टर क्रेटिंग कार्य।	क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के पत्रांक-481 दिनांक-05.11.2018 के द्वारा कटाव निरोधक कार्य के अनुशंसा के आधार पर TAC द्वारा अनुशंसा की जाती है।	TAC के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है।	₹ 100.00	₹ 59.99
5	झुनकी ग्राम के पास ब्राह्मणी नदी के दाँये तट में 850 मी० की लम्बाई में क्रेटिंग बोल्टर द्वारा स्लोप प्रोटेक्शन एवं रिमेंटमेंट का कार्य।	दिनांक-20.12.2018 को क्षेत्रीय AEC द्वारा की गई कार्य की अनुशंसा के आधार पर TAC द्वारा अनुशंसा की जाती है।	TAC के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है।	₹ 38.26	₹ 38.26
योग :-				₹ 453.26	₹ 383.53
सकल योग (I+II) :-				₹ 636.76	₹ 567.03

3. प्रस्तावित कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण कराया जायेगा।

4. इस कार्य पर होनेवाला व्यय:-

मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजना, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण के अंतर्गत भारित होगा।

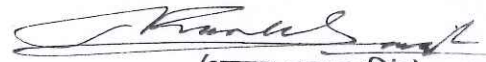
5. कडिका-(2) में उल्लेखित कार्य संबंधित प्रमण्डलों द्वारा कराया जाएगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्रि पदाधिकारी होंगे।

6. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

7. इस कार्य के लिए वर्ष 2019-20 के बजट में उपबंध है।

8. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
9. कोषागार से राशि की निकासी प्राक्कलन के अनुरूप वास्तविक कार्य के आधार पर तैयार विपत्र के आलोक में की जायेगी।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो-0-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(अरुण कुमार सिंह) 10.06.19

अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1105/2019 05/19-20 ५: १०/ राँची, दिनांक 18.06.2019

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1105/2019 05/19-20 ५: १०/ राँची, दिनांक 18.06.2019

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1105/2019 05/19-20 ५: १०/ राँची, दिनांक 18.06.2019

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बड़हरवा (साहेबगंज)/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1105/2019 05/19-20 ५: १०/ राँची, दिनांक 18.06.2019

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1105/2019 05/19-20 ५: १०/ राँची, दिनांक 18.06.2019

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आर्ष सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव